

# कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी, जिला नारायणपुर

दूरभाष क्रमांक 07781-299218 फैक्स 299218 ई-मेल jeetneet74@gmail.com


## “रूचि की अभिव्यक्ति”

नारायणपुर जिले मे कक्षा 11वीं से 12 वी के 100 छात्र/छात्राओ को JEE Mains तथा Advance /NEET-UG एक्जाम की तैयारी हेतु रूचि की अभिव्यक्ति “के तहत प्रतिष्ठित कोचिंग संस्थाओ अथवा योग्य कुशल तथा अनुभवी विषय विशेषज्ञो से अद्योदर्शित विवरण अनुसार दिनांक. 13/02/2023 तक कार्यालयीन समय शाम 5:00 बजे तक कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी कलेक्ट्रेट भवन कक्ष क. 74 जिला नारायणपुर मे स्वयं उपस्थित होकर या ई-मेल आईडी - jeetneet74@gmail.com, स्पीड पोस्ट एवं रजिस्टर्ड डाक के माध्यम से आवेदन आमंत्रित किये जाते है जिसका विवरण निम्नानुसार है:-

स.क्र	विषय	पदनाम	आवश्यक पद की संख्या	आवश्यक शैक्षणिक योग्यता	वांछनीय योग्यता
1	2	3	5	6	7
1	गणित	विषय	01	(Msc/B.E./B-	IITs /NITS या भारत सरकार से
2	रसायन	विशेषज्ञ	01	Tech/M.Tech)	संबंधित रैंकिंग में प्रथम 20 संस्थाओं
3	भौतिक	शिक्षक	01	योग्यता धारी को	से शिक्षा प्राप्त अभ्यर्थियों को
4	जीवविज्ञान		01	प्राथमिकता	प्राथमिकता

नियम एवं शर्तें निम्नानुसार है :-

1. व्यक्ति/कोचिंग संस्थान अपनी रूचि की अभिव्यक्ति तहत आवेदन कर सकते है।
2. अध्ययन -अध्यापन का माध्यम हिन्दी एवं अग्रेजी होगा।
3. व्यक्ति/कोचिंग संस्था अपना आवेदन दो बन्द लिफाफे में प्रस्तुत करेंगे।
4. व्यक्ति/कोचिंग संस्था के विषय विशेषज्ञ का संबंधित विषय में (Msc/B.E./B-Tech/M.Tech) एवं 02 वर्षों का अनुभव होना चाहिए तथा प्रतिष्ठित संस्थाओ में सेवा का अनुभव होना चाहिए।
5. संस्था या स्वयं का गुणवत्ता युक्त शैक्षणिक सामग्री एवं टेस्ट सीरिज दिया जाना होगा।
6. जो भी संस्थाएँ भाग लेगी वह 03 वर्षों का आडिट रिपोर्ट भी संलग्न करेंगे।
7. “रूचि की अभिव्यक्ति” जिला शिक्षा अधिकारी जिला कार्यालय नारायणपुर में स्वयं या रजिस्टर्ड डाक के माध्यम से जमा किया जा सकता है।
8. व्यक्तिगत विषय विशेषज्ञ का चयन साक्षत्कार के माध्यम से किया जायेगा।
9. कोचिंग संस्था का चयन प्रस्तुतीकरण के माध्यम से किया जावेगा।
10. छ0ग0 के नागरिक अथवा संस्था को प्राथमिकता दिया जावेगा।
11. व्यक्तिगत/कोचिंग संस्था के द्वारा किसी कारणवश शैक्षिक कार्य को छोडने के 03 माह पूर्व नोटिस देना होगा।
12. व्यक्तिगत/कोचिंग संस्था के द्वारा शैक्षिक व्यवस्था (बच्चो से गलत व्यवहार ) शिकायत या किसी अनियमितता की दशा में एक माह पूर्व आपको नोटिस देकर हटाने कार्यवाही की जावेगी।
13. किसी भी विवाद की रिशति में कलेक्टर नारायणपुर का निर्णय अतिम होगा।

  
जिला शिक्षा अधिकारी 2023  
जिला - नारायणपुर (छ0ग0)